हिमाचल प्रदेश सरकार
आयुर्वेद विभाग

संख्याः आयु0–ए–(3)–3/2012 तारीख शिमला–2, मई,2014.

****

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में उप–निदेशक, वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से सलंग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार, भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनाती हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, उप–निदेशक, वर्ग–I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

(संजय गुप्ता)
प्रधान सचिव (आयुर्वेद)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सं0: यथोपरि। तारीख शिमला–2, मई,2014.

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002।
2. निदेशक (आयुर्वेद) हिमाचल प्रदेश शिमला–171009।
3. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग,निगम विहार शिमला–171002 उनके पत्र संख्या 1–2/78–पीएससी– पार्ट दिनांक 20.01.2014 के सन्दर्भ में ।
4. नियन्त्रक मुद्रण एंव लेखन विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171005 को राजपत्र में प्रकाशन के लिए।
5. सहायक विधि परामर्शी एवम अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002
6. गार्ड नस्ति–80 प्रतियां ।

(कौशल्या कश्यप)
अवर सचिव(आयुर्वेद)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।
दूरभाष न0 *2624323.*

उपाबन्ध– "क"

हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग में उप–निदेशक, वर्ग–I(राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम :	उप–निदेशक
2.	पद(पदों) की सख्या :	03 (तीन)
3.	वर्गीकरण :	वर्ग–I (राजपत्रित)
4.	वेतनमान :	पे बैण्ड 15,600–39,100 / –रूपए जमा 7,600 / – रूपए ग्रेड पे।
5.	चयन पद अथवा अचयन पद :	चयन।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु :	लागू नहीं।
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:	क) अनिवार्य अर्हता : लागू नहीं। (ख) वॉछनीय अर्हता : लागू नहीं।
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(ए) प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं :	आयु : लागू नहीं। शैक्षिक अर्हताएं: लागू नहीं।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10.	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11.	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा :	जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों/चिकित्सा अधीक्षकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका दो वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दो वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों/चिकित्सा अधीक्षकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका जिला आयुर्वेदिक अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक एव उपमण्डलीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में संयुक्तः पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें जिला आयुर्वेदिक अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक के रूप में एक वर्ष का सेवाकाल अनिवार्य होना चाहिए:

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय /दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–I : उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण– II: उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :–

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप–मण्डल ।
3. रोहडू उप–मण्डल का डोडरा–क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना,मुनीष,दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप–मण्डल का बड़ा–भंगाल क्षेत्र ।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिला में उप–तहसील कमरउ के काठवाड और कोरगा पटवार–वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड–भलोना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त ।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल बगडा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप–तहसील के गाडा गोसांई, मठयानी, घनयाड़ थाची, बागी, सोमगाड़, पद्धरहसील के झारवाड़ कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, टैला, रोपा, कथरोग, सिल्ह भड़वानी, हरतपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियुनी, कालीपार, मानगढ थाच बगडा उत्तरी मगरू और दक्षिण मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार, चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक(पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/ नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणः—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान–टेक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक(पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात, जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति, विद्यमान हो तो उसकी संरचना :	जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।
13.	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा :	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14.	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा :	लागू नहीं।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	लागू नहीं।
16.	आरक्षण :	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17.	विभागीय परीक्षा :	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।
18.	शिथिल करने की शक्ति :	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

(Authoritative English Text of this Department's Notification No. Ayur-A(3)-3/2012 dated as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF AYURVED

****

No. Ayur-A(3)-3/2012 Dated: Shimla-171002, the May,2014.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Deputy Director, Class-I (Gazetted) in the Department of Ayurveda, Himachal Pradesh, as per **Annexure-'A'** attached to this notification, namely :-

Short title & Commencement : 1. (I) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Ayurveda, Deputy Director, Class-I(Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2014.

(II) These rules shall come into force from date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By Order,

(Sanjay Gupta)
Principal Secretary (Ayurveda) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. Ayur-A(3)-3/2012 Dated: Shimla-2, May,2014.

Copy for information and necessary action is forwarded to:-

1. All the Addl. Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries to the Government of Himachal Pradesh Shimla-171002.
2. The Director, Ayurveda, Kasumpti, Shimla-171009.
3. The Secretary, HP Public Service Commission, Nigam Vihar, Shimla-171002 w.r.t. his letter 1-2/78-PSC-Part dated 20-01-2014.
4. The Controller, Printing & Stationery Department, HP Shimla-171005 for publication in the Rajpatra.
5. The ALR-cum-Under Secretary (Law) to the Government of H.P. Shimla-2
6. Guard file with 80 spare copies.

(Kaushlaya Kashyap)
Under Secretary(Ayurveda)to the
Government of Himachal Pradesh.
Telephone:-2624323.

-: 0 :-

C.D.S.

RECRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR CLASS-I(GAZETTED)IN THE DEPARTMENT OF AYURVEDA, HIMACHAL PRADESH.

1.	Name of Post	Deputy Director
2	Number of post(s)	03 (FOUR)
3	Classification	Class-I(Gazetted)
4	Scale of pay.	Pay Band ₹ 15600-39100+₹7600 Grade Pay
5	Whether "Selection" post or "Non- Selection" post	Selection
6	Age for direct recruitment	Not applicable
7	Minimum educational & other qualifications required for direct recruit(s)	a) Essential Qualification(s) : Not applicable b) Desirable Qualification(s) : Not applicable
8	Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the Promotee(s).	Age: Not applicable. Educational Qualifications: Not applicable
9	Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10	Method(s) of recruitment whether by direct recruitment or by promotion deputation, transfer and percentage of post(s) to be filled in by various methods.	100% by promotion.
11	In case of recruitment by promotion, deputation transfer grade from which promotion/ deputation transfer is to be made	By Promotion from Amongst the District Ayurvedic Officers/Medical Superintendents who possess two(02) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the District Ayurvedic Officers/ Medical Superintendents having five(05) years regular service or regular